

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-928 / 2012
 संस्थित दिनांक-20.11.2012
 फाईलिंग क्र.234503002182012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

1—भागचंद पिता गुसाई शरणागत, उम्र-55 वर्ष, जाति पंवार,
 निवासी—ग्राम केवलारी, थाना बैहर,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

2—संतोष पिता भागचंद शरणागत, उम्र-32 वर्ष, जाति पंवार,
 निवासी—ग्राम केवलारी, थाना बैहर,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

3—बकाराम पिता गुसाई शरणागत, उम्र-68 वर्ष, जाति पंवार,
 निवासी—ग्राम पालडोंगरी, मोहगांव थाना मलाजखण्ड,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

4—शंकर पिता बकाराम शरणागत, उम्र-40 वर्ष, जाति पंवार,
 निवासी—ग्राम पालडोंगरी, मोहगांव थाना मलाजखण्ड,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-18/09/2015 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 506 (भाग-2) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-15.11.2012 को शाम करीब 05:15 बजे थाना बैहर अंतर्गत ग्राम केवलारी में फरियादी रूपेश के खेत में लोकस्थान पर फरियादी रूपेश को अश्लील शब्द "माँ-बहन को चोदू" उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाकर उसके अग्रसरण में अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर आहतगण रूपेश तथा सुखलाल

को डण्डे व हाथ-मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-15.11.12 को फरियादी रूपेश मजदूरों सहित कुंआ खेत बन्धी की धान फसल कटाई करवाया था और आ गया था, तो करीब 5:15 बजे शाम को कटी हुई धान फसल को आरोपी बकाराम शरणागत एवं शंकरलाल, निवासी पालडोंगरी मोहगांव तथा भागचंद शरणागत एवं संतोष शरणागत, निवासी ग्राम केवलारी बोझा बांध रहे थे। उसने बोझा बांधने से मना किया तो आरोपी बकाराम, शंकरलाल, संतोष शरणागत ने मौं-बहन को चोदू की अश्लील गालियां देकर उसे पकड़ लिया तथा आरोपी भागचंद शरणागत ने डण्डे से दाहिने तरफ मौं-माथे पर, बाएं भुजा पर मारा, जिससे चोट लगकर खून निकलने लगा। बीच-बचाव करने आए उसके पिता सुखलाल शरणागत आया तो उसे भी धक्का-मुक्की कर गला पकड़ लिये थे और जाते-जाते जान से मारने की धमकी देने लगे। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध थाना बैहर में दर्ज करायी गई। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-169/2012 अंतर्गत धारा-294, 323, 506 बी, 34 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान फरियादी की निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया तथा साक्षियों के कथन लिये गये। पुलिस द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 506 (भाग-2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण ने अपनी प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:-

- 1- क्या आरोपीगण ने दिनांक-15.11.2012 को शाम करीब 05:15 बजे थाना बैहर अंतर्गत ग्राम केवलारी में फरियादी रूपेश के खेत में लोकस्थान पर फरियादी रूपेश को अश्लील शब्द "मौ-बहन को चोदू" उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
- 2- क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाकर उसके अग्रसरण में अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर आहतगण रूपेश तथा सुखलाल को डण्डे व हाथ-मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 3- क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी रूपेश को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

- 5- आहत रूपेश शरणागत (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता-पहचानता है। घटना लगभग दो साल पुरानी शाम के लगभग 5:15 बजे उसके खेत की है। घटना दिनांक को वह मजदूरों के साथ अपने खेत की धान कटवाकर शाम को लगभग 5:00 बजे घर आ रहा था, तभी मजदूरों ने बताया कि आरोपीगण उसके खेत के धान का बोझा बांध रहे हैं। उक्त बात की जानकारी अपने पिता को बताने के लिए घर गया था। फिर उसके पिताजी और वह खेत उन्हें समझाने के लिए गया तो आरोपी बकाराम और संतोष ने उसके पिता को झटका देकर गिरा दिया था। जब वह बचाने के लिए गया तो आरोपी शंकरलाल ने उसे पकड़ा और आरोपी भागचंद ने लकड़ी से मारपीट की थी, जिससे उसे दाहिने आंख की भौं पर चोट आई थी। आरोपीगण उन लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। घटना की रिपोर्ट उसने पुलिस थाना बैहर में किया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस को घटनास्थल बता दिया था। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

6- उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी ने उसके द्वारा लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। यद्यपि साक्षी ने घटना के समय आरोपीगण के द्वारा कथित रूप से उसे गाली-गलौज करने के संबंध में कथन नहीं किये हैं। साक्षी ने आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिए जाने के कथन किये हैं, किन्तु उसके द्वारा यह नहीं बताया है कि उक्त धमकी को प्रत्यक्ष रूप से क्रियान्वित करने में आरोपीगण ने और क्या किया।

7- सुखलाल (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को पहचानता है। प्रार्थी रूपेश उसका लड़का है। घटना लगभग दो वर्ष पूर्व शाम के 5-5:30 बजे ग्राम केवलारी में उसके खेत की है। घटना दिनांक को आरोपीगण उसके खेत के कटे हुए धान को बांध रहे थे, तो उन्हें रोकने के लिए उसका लड़का रूपेश और वह गया था। धान को बांधने से रोके तो आरोपीगण उसके लड़के को लकड़ी से मारपीट करने लगे, जिससे उसके लड़के रूपेश को आंख में चोट आई थी। आरोपीगण गंदी-गंदी गालियां दे रहे थे। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में घटना के समय आरोपीगण द्वारा उसे तथा आहत रूपेश को मारपीट कर उपहति कारित करने के संबंध में अभियोजन का समर्थन किया है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

8- यशोदाबाई (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपीगण एवं आहतगण को जानती है। घटना लगभग एक साल पहले धान कटाई के समय की है। उसने आरोपी भागचंद और सुखलाल के बीच में झगड़ा होते हुए रोड से देखी थी, किसने किसे मारा था, उसे जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान ग्राम केवलारी में ली थी। उसके सामने पुलिस ने आरोपी भागचंद से कोई जप्ती नहीं की थी, किन्तु जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष आरोपीगण को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं की थी, किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 से लगायत प्रदर्श पी-7 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामलों का किसी भी प्रकार से

समर्थन नहीं किया है। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन मामले को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता।

9— अनुसंधानकर्ता अधिकारी कपूरचंद बिसेन (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक-15.11.12 को पुलिस थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थी रूपेश की मौखिक रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक-169, धारा-294, 323, 506 बी, 34 भा.द.वि. के तहत आरोपीगण के विरुद्ध में सहायक उपनिरीक्षक पूरनलाल लिल्हारे के द्वारा लेख की गई थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर सहायक उपनिरीक्षक पूरनलाल लिल्हारे के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें वह साथ में कार्य करने के कारण पहचानता है। उक्त अपराध क्रमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक-16.11.12 को प्रार्थी मुकेश की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी रूपेश, आहत सुखलाल, साक्षी यशोदाबाई, पार्वतीबाई के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक-17.11.12 को आरोपी भागचंद से साक्षियों के समक्ष एक तेंदु का डण्डा जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपीगण को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 से लगायत 7 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामलों में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

10— फरियादी/आहत रूपेश (अ.सा.1) ने उसके द्वारा लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 व पुलिस कथन के अनुरूप समर्थन करते हुए साक्ष्य पेश करते बताया है कि आरोपीगण ने मिलकर उसे व उसके पिता सुखलाल के साथ मारपीट कर उन्हें उपहति कारित की गई थी। उक्त साक्षी के कथन का समर्थन करते हुए आहत सुखलाल (अ.सा.2) ने भी आरोपीगण द्वारा उसे व आहत रूपेश को मारपीट कर चोट पहुंचाए जाने के कथन किये हैं। साक्षीगण के कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार उक्त महत्वपूर्ण साक्षीगण के कथन से यह स्पष्ट है कि आरोपीगण ने मिलकर उक्त आहतगण को मारपीट कर उपहति कारित की थी। इस प्रकार मारपीट किये जाने के परिणामस्वरूप आहतगण को कारित उपहति हेतु सभी आरोपीगण समान रूप से जिम्मेदार होना प्रकट होते हैं।

11— प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण तथ्य व परिस्थिति से प्रकट होता है कि आरोपीगण के द्वारा घटना के समय आहतगण रूपेश व सुखलाल को लकड़ी से मारपीट कर उपहति कारित की गई है, जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। मारपीट करते समय आरोपीगण का आहत को चोट पहुंचाने का आशय विद्यमान था तथा वह इस संभावना को जानते थे कि उक्त मारपीट से निश्चित रूप से आहत को उपहति कारित होगी। इस प्रकार आरोपीगण के द्वारा किया गया कृत्य स्वेच्छया उपहति की श्रेणी में आता है।

12— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि महत्वपूर्ण साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि आरोपीगण ने किन शब्दों के उच्चारण के माध्यम से उन्हें क्षोभ कारित किया। साक्षी गण के कथन से यह भी प्रकट नहीं होता कि आरोपीगण ने कथित रूप से जान से मारने की धमकी देने के पश्चात् उक्त धमकी को किस प्रकार क्रियान्वित करने का प्रयास किया, जिससे फरियादी भयभीत हो गया। इस प्रकार आरोपीगण के द्वारा कथित अश्लील शब्दों का उच्चारण कर क्षोभ कारित किये जाने और जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किये जाने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। फलस्वरूप आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 भाग-2 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

13— अभियोजन ने युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित किया है कि आरोपीगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहतगण रूपेश व सुखलाल को उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाकर उसके अग्रसरण में उक्त आहतगण को लकड़ी व हाथ-मुक्के से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया। फलस्वरूप आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323/34 (दो बार) के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

14— आरोपीगण को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया गया।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

पश्चात्—

15— आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उनका प्रथम अपराध है तथा उनके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उनके द्वारा मामले में वर्ष 2012 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वह प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होते रहें हैं। अतएव उन्हें केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

16— मामले में आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है तथा वह मामले में वर्ष 2012 से लगातार विचारण का सामना कर रहें हैं। मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव आहतगण रूपेश एवं सुखलाल को स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु प्रत्येक आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323/34, 323/34 के अपराध के अंतर्गत 1000/-, 1000/-(एक-एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपीगण को एक-एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

17— मामले में आरोपीगण अभिरक्षा में नहीं रहें हैं। उक्त के संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तैयार किया जाये।

18— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

19— प्रकरण में जप्तशुदा एक लकड़ी का डण्डा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट